सत्र प्र०क्र० **37/2022** शा० बनाम संजय कुमार

प्रारंभ - 12:27 बजे ।

Witness No.	**05**	for	**अभियोजन साक्ष्य**	Deposition taken

the	**20-12-2023**	day of	**बुधवार**	Witness's apparent age	**54 वर्ष**

State on affirmation	**शपथपूर्वक**	my name is	**ओमप्रकाश डिक्सेना**
son of	**स्व० दिलेसर राम**	occupation	**प्रधान आरक्षक क्र० 215**
addres	**थाना-हरदीबाजार, जिला-कोरबा छ०ग० ।**		

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री अशोक आनंद ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन

1. मैं चौकी हरदीबाजार में 2021 से वर्तमान तक प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूं ।
2. चौकी हरदीबाजार, थाना कुसमुंडा के अपराध क्रमांक 144/2022, धारा 294, 323, 506, 436 भादवि० के प्रकरण में विवेचना हेतु डायरी प्राप्त होने पर मैने दिनांक 15-04-2022 को साक्षियों के समक्ष घटनास्थल पर जाकर नुकसानी पंचनामा तैयार किया था जो **प्र०पी० 2** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । इसी दिनांक को मैने घटनास्थल पर जाकर नजरीनक्शा **प्र०पी० 3** तैयार किया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । इसी दिनांक को मैने आरोपी संजय द्वारा पेश करने पर साक्षियों के समक्ष एक माचिस का खोखा जिसमें 10 नग बारूद लगा तीली तथा एक पीले रंग के प्लास्टिक के 5 लीटर वाली जेरीकेन में लगभग 1 लीटर मिटटी तेल भरा हुआ तथा सीलिंग फेन का जला हुआ पंखुड़ी 3 नग एवं जले हुये टीवी डिस्प्ले स्क्रीन तथा फ्रीज के जले हुये दरवाजा का कुछ भाग जप्तकर जप्ती पत्रक **प्र०पी० 4** तैयार किया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।
3. दिनांक 11-05-2022 को घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने के संबंध में मैने तहसीलदार हरदीबाजार को ज्ञापन भेजा था जो **प्र०पी० 9** है जिसके

साक्षी के हस्ताक्षर-

अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । मेरे द्वारा विवेचना के दौरान साक्षी संतराम कोर्राम, भीम चौहान, संतोष सिंह पोर्ते, रमेश का कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किया था । मेरे द्वारा उनके कथन में कोई अतिरिक्त कथन जोड़ा अथवा घटाया नहीं गया है ।

4. अपराध सबूत पाये जाने पर मैने आरोपी संजय कुमार को साक्षियों के समक्ष विधिवत् गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी० 5** तैयार किया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री पवन जायसवाल अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

5. यह कहना गलत है कि मैने प्र०पी० 2 साक्षियों के समक्ष तैयार नहीं किया है । यह कहना गलत है कि मैने नजरीनक्शा प्र०पी० 3 साक्षियों के समक्ष तैयार नहीं किया था । यह कहना गलत है कि मैने प्र०पी० 4 में दर्ज सामग्री को आरोपी से गवाहों के समक्ष जप्त नहीं किया है । यह कहना गलत है कि गवाह संतराम ने बयान देते समय यह बताया था कि किस व्यक्ति के द्वारा समान को जलाया गया है मुझे नहीं मालूम । यह कहना गलत है कि संतोष ने बयान देते समय यह बताया था कि मैं जहां समान जला था वहां संतराम के घर में उपस्थित नहीं था । यह कहना गलत है कि गवाह संतराम, भीम चौहान, संतोष पोर्ते, रमेश कुमार ने ऐसा बयान नहीं दिया था मैने अपने मन से तैयार किया है । यह कहना गलत है कि आरोपी के खिलाफ मेरे द्वारा झूठा प्रकरण तैयार कर पेश किया गया है ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया । मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।
गवाह ने सही होना स्वीकार किया ।

सही/- सही/-
(श्री वेन्सेस्लास टोप्पो) (श्री वेन्सेस्लास टोप्पो)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग
समाप्त-12:43 बजे ।

साक्षी के हस्ताक्षर-